

ई-मेल/
निर्बंधित

पत्रांक-10/न०-124/2022.....

बिहार सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
शिक्षा विभाग, विकास भवन, पटना-15.

प्रेषक

सचिन्द्र कुमार,
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

आध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक.....

घिपद-

G K MEMORIAL SCHOOL CHHAPRA BAHAS, EAST CHAMPARAN.
को C.B.S.E बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश नुसार कहना है कि G K MEMORIAL SCHOOL, CHHAPRA BAHAS, EAST CHAMPARAN लो C.B.S.E से संबद्धता हेतु राज्य सरकार से अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आलोक में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के स्तर से विद्यालय की स्थलीय जांच कराकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं जिला पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय आईएसाइएस-1207 दिनांक-01.08.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की रिपोर्ट निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय SRI KASHI GODAVARI MEMORIAL CHARITABLE TRUST अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट/सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रमुख नहीं है। ट्रस्ट/सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निवधित ट्रस्ट/सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्वार्ड्जी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम संपर्योग नहीं करने का दाव किया है।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थान निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के सानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं ?
4. विद्यालय में कोई शिक्षक राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं है इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया गया है। रु०८०००८०८०८०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं ?
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक खाता अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आदायासन दिया गया है। विद्यालय अपने आशयासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे रु०८०००८०८०८०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में लालेखित अपेक्षित एवं आनेवार्य शर्तें रखीकार हैं।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

- (i) शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क्रियान्वयन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रासूचित निर्णय के आलोक में विद्यालय में कृत नामांकन धमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले कमज़ोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे दृश्यान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/केठी जी० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन जमाता से अधिक हो तो खुले तरीका द्वारा Draw of Lots के माध्यम से अथवा इस संबंध में

Amrit Mohan
Principal
GK Memorial School
Chapra Bahas, Motihari

समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत पत्र/अनुदेश के तहत नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/कैरेंजी १० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च उथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का ८० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. RTE से संबंधित सभी मापदण्डों को पूरा करना अनिवार्य होगा। C.B.S.E संबंधित निजी विद्यालयों को संबद्धता देते समय इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करायेंगे।

9. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा भी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

10. साथ ही सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहयति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोत्साहित एवं वेबसाईट में करना होगा।

11. विभागीय पत्रांक-४८, दिनांक-१८.०१.२००८ द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करन होगा।

12. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

13. विभागीय अधिसूचना संख्या-२३८ दिन क-०४.०४.२००६ में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय का अनापति प्रमाण-पत्र वापस र लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने के लिए राज्य सरकार सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को अंशंसा की जाएगी।

14. उपर्युक्त वर्गीत शर्तों के आलोक में, विभागीय आदेश ज्ञापांक-१२०७ दिनांक-०१.०८.२०२३ द्वारा विशेष सविय की अध्यक्षता में गठित समिति ने लिये गये निर्णयानुसार G K MEMORIAL SCHOOL, CHHAPRA BAHAS, EAST CHAMPARA एवं को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी०बी०एस०ई० अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबद्धता देने पर विचार रहेगी।

विश्वासभाजन

₹०/-

(सविन्द्र कुमार)

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक ०१-०८-२०२३

ज्ञापांक :- १०/न०-१२४/२०२२ । ४९।-

प्रतिलिपि :— जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्ण चम्पारण/प्राचार्य, G K MEMORIAL SCHOOL, CHHAPRA BAHAS, EAST CHAMPARA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश है कि संबंधित लो ई-मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(सविन्द्र कुमार)
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

Principal
GK Memorial School
Chapra Bahas, Motihari

Amrendra